

2019/00461

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 297/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि., रजिस्टर्ड आफिस 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह
2. श्री राजेश कुंवर पत्नी श्री बिजेन्द्र सिंह
3. निवासी वार्ड नम्बर 4, काशीपुरम डाबला रोड, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर एवं पट्टा नम्बर 1913 ग्राम बूचाहेडा, खसरा नम्बर 558, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 11.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.05.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी बिजेन्द्र सिंह राजपूत के स्वामित्व की सम्पत्ति नगर पालिका से जारी पट्टा संख्या 1913, ग्राम बूचाहेडा खसरा नम्बर 558 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 175.38 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,00,000/-रुपय की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.10.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित उपस्थित है ।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ऋणी ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु समय चाहा है, किन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ऋणी को समय दिये जाने की अधिकारित इस न्यायालय को नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.10.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति

में दिनांक 01.12.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी बिजेन्द्र सिंह राजपूत के स्वामित्व की सम्पत्ति नगर पालिका से जारी पट्टा संख्या 1913, ग्राम बूचाहेडा खसरा नम्बर 558 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 175.38 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 11.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।


 (जगरूप सिंह यादव)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर